

जमीनी विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आँटो चलाकर करता था गुजारा



गोरखपुर में आँटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। परिजनों के अनुसार, शनिवार शाम वह अपनी विवाहित बहन रोना को दिल्ली से घर लेकर आया था। रात करीब सात बजे वह गांव के बाहर गया था। आरोप है कि पहले से घात लेने के जो पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मारने की चाल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, डखवा गांव निवासी पिंठू (26) पुत्र लल्लू

लिए देवरा स्वास्थ्य केंद्र, उरुवा सीएचसी, जिला अस्पताल और बाद में मेडिकल कोलेज गोरखपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पिता लल्लू ने बताया कि परिवार का जमीन को लेकर रिश्तेदारों से पुराना विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों का कहना है कि सूचना के बावजूद पुलिस ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पिंठू बाद भाई और एक बहन में सबसे छोटा था। उसके तीनों बड़े भाई गरीब रहकर नौकरी करते हैं। युवक की मार से परिवार में कोहराम मच चुका है। गांव में भी घटना को लेकर अक्रोश व्याप्त है। थाना पुलिस ने एक बंगला में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सर्कटा बरत रही है।

चेन स्नैचिंग का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार महिला से लूटी थी सोने के चेन

संवाददाता-संतकबीरनगर। पुलिस ने मेहदावल क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक महिला से सोने की चेन लूटने का आरोप है।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मेहदावल पुलिस और एसओजी टीम ने यह सफलता हासिल की। दोनों अभियुक्तों को मेहदावल-नौलखा मार्ग स्थित मुहिया पुल के पास से पकड़ा गया। यह घटना 23 मई 2026 को हुई थी। वही इशरदा अहमद पुत्र मो. अली निवासी अयोध्या, थाना मेहदावल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी गांवा घर के सामने बेटी थी, तभी बाइक सवार दो अज्ञात युवक गांवा मंगने के बहाने आए और उनके गले से सोने की चेन धोकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना मेहदावल में मुकदमा अर्थात् संख्या 223/2026, बारा 304(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों को पहचान मो. कामिल उर्फ अली पुत्र नौशाद अली निवासी सीधारीपुर, थाना गोरखना, गोरखपुर और मो. अहमद उर्फ अली उर्फ मृत पुत्र स्व. अब्दुल सय्यद निवासी सुनीपुर, निकेत गाँव, थाना कोवाली, गोरखपुर के रूप में हुई है। घटनात्मक में अभियुक्तों ने बताया कि वे सोने के आदी हैं और आर्थिक तंगी के कारण झटपटारी, छिपेगी व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभियुक्त मो. अहमद उर्फ नाट ने यह भी स्वीकार किया कि वर्ष 2020 में बायो के बरसों के बंद्यार को लेकर हुए विवाद में उसने अपने एक साथी को हत्या कर दी थी। अभियुक्तों ने बताया कि 23 मई 2026 को ग्राम अयोध्या में महिला से छीनी गई सोने की चेन उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को 25 हजार रुपये में बेच दी थी। पुलिस ने उनके पास से बायमद नकदी उड़ी कमाई का हिस्सा बरबाद है, जबकि शेष धराशायि खर्च कर दी गई थी।

न्याय और जनकल्याण की प्रतीक थीं अहिल्याबाई होलकर -राजेश तिवारी



संवाददाता-गोरखपुर। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रविवार आरंभ लोकमान्य अहिल्याबाई होलकर की जयंती मंडा और समान के साथ मनी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके आदर्श को अपनाने का संकल्प लिया। लोकायुक्त राजेश तिवारी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की ऐसी महान शासक थीं, जिन्होंने न्याय, सुशासन, जनकल्याण और महिला स्वाधिकार का आदर्श प्रस्तुत किया। राजेश ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में समान के कर्मचारियों को उन्नत के लिए अनेक कार्य किए। देश भर में महिला, धर्मशालाओं और आजीवनगी निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि लोकमान्य अहिल्याबाई को जीवन सेवा, त्याग और लोककल्याण का प्रणेता देना है। वर्तमान समय में उनके आदर्शों को अपनाकर समाज में समरता, न्याय और जनकल्याण की भावना को और मजबूत किया जा सकता है। इस दौरान गोरखाला श्रीमान्तर, सचिव निषाद, नदीम सिन्हा, राजेश तिवारी, अमित सोनकर, ज्ञानेंद्र शाही, संजय पाण्डेय, इंदु श्रुण शर्मा, राजेश निषाद, व्यास शर्मा उपाध्याय, सांघी शुभला, प्रदीप तिवारी, रामनगीला साहनी, होलीला पाण्डेय, जूनील सिंह, हरेंद्र देव, राजकमल शर्मा, अशोक शर्मा, आशोक सिंह, अक्षय सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मंत्री संजय निषाद के नाम वाला शिलापट तोड़ा, भड़के समर्थक, पुलिस ने आनन-फानन में लागवाया



संवाददाता-गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डा.संजय निषाद के नाम वाला शिलापट तोड़े जाने को लेकर उन्हे समर्थक भड़क गए। यह शिलापट, गोरखपुर के चौबीसकोटे क्षेत्र के ब्रह्मपुर ब्लॉक से आमदापट सफरकं नाम पर लागा था। आरोप है कि आराजक तत्वों ने इस शिलापट को तोड़ दिया। स्थलियों को इस बात की जानकारी मिली तो वे भड़क गए। नाराज समर्थक शनिवार रात करीब 11 बजे से वहां परे परे बैठे रहे। कैबिनेट मंत्री का शिलापट तोड़े जाने और उसे दुसरे गुस्ताफ समर्थकों के ठेकर देवते हुए पुलिस सकते में आ गई। बाद में मंत्री डा.संजय निषाद ने कि आपक बेटे ई.सरन निषाद ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित, विभिन्न केंद्रों पर 25 मरीजों को मिला उपचार

संवाददाता-सिद्धार्थनगर। सेवारत उपलब्ध कराई गई। मिठोवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 21 संजय गुता पर फार्मासिस्ट डी.बी. यादव द्वारा 42 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि महाबापुर कला केंद्र अदालती नोटिस प्रारूप 7 (देखे नियम-11 (1) परलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अंतर्गत हॉजिर होने के लिए सूचना अदालत-श्रीमान्तर 00200/ एफन टी 00 सी (सी/एड/2026) महोदय बस्ती जिला-बस्ती परलू हिंसा वाद सं-105/ 2024 प्रकीर्ण पर वाद सं-609/2024 जिला-बस्ती नौलम चौधरी बनाम ध्रुव कुमार चौधरी आदि 1. ध्रुव कुमार चौधरी उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र रामविहारी 2. रामविहारी उम्र लगभग 58 वर्ष पुत्र अज्ञात 3. फूलचन्द्र उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र रामविहारी 4. जोचना देवी उम्र बेहतर पर सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने आमजन से स्वास्थ्य मेले में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण करने और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-50-50/2026 सुदामा बनाम विन्दावासिनी आदि 1. विन्दावासिनी आयु 35 वर्ष पत्नी राम गुता और निवासी ग्राम नन्दनगर तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 2. रामकुमार आयु 50 वर्ष पुत्र लालता प्रयाद निवासी ग्राम चोरी, तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 3/1 जयन्ती उम्र 70 वर्ष पत्नी रामजनन 3/2 आनन्द कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्रगण पुत्रगण पल्लव 3/3 धर्मन्त कुमार उम्र 47 वर्ष 3/4 सन्त कुमार उम्र 45 वर्ष 3/5 अशुका कुमार उम्र 43 वर्ष 3/6 अशुका उम्र 40 वर्ष 3/7 अनिल उम्र 35 वर्ष 3/8 सनवत उम्र 30 वर्ष 3/9 सुनील उम्र 22 वर्ष पुत्रगण राम जनक 3/10 कुसुम उम्र 40 वर्ष पुत्री रामजनक निवासीगण ग्राम खोपेकर, तथा-नवाडी, परगना-नगर पश्चिम तहसील हरैया, जिला-बस्ती 4. राजाराम उम्र 40 वर्ष मृतक पुत्र छोड़ू 4/1 तारा देवी उम्र 65 वर्ष 4/2 सुशीला देवी उम्र 62 वर्ष पुत्रगण राजाराम निवासी राज अमोडा बाजार बेंधेपुर तथा-रामाडोड, परगना-अमोडा, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-50-50/2026 सुदामा बनाम विन्दावासिनी आदि 1. विन्दावासिनी आयु 35 वर्ष पत्नी राम गुता और निवासी ग्राम नन्दनगर तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 2. रामकुमार आयु 50 वर्ष पुत्र लालता प्रयाद निवासी ग्राम चोरी, तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 3/1 जयन्ती उम्र 70 वर्ष पत्नी रामजनन 3/2 आनन्द कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्रगण पुत्रगण पल्लव 3/3 धर्मन्त कुमार उम्र 47 वर्ष 3/4 सन्त कुमार उम्र 45 वर्ष 3/5 अशुका कुमार उम्र 43 वर्ष 3/6 अशुका उम्र 40 वर्ष 3/7 अनिल उम्र 35 वर्ष 3/8 सनवत उम्र 30 वर्ष 3/9 सुनील उम्र 22 वर्ष पुत्रगण राम जनक 3/10 कुसुम उम्र 40 वर्ष पुत्री रामजनक निवासीगण ग्राम खोपेकर, तथा-नवाडी, परगना-नगर पश्चिम तहसील हरैया, जिला-बस्ती 4. राजाराम उम्र 40 वर्ष मृतक पुत्र छोड़ू 4/1 तारा देवी उम्र 65 वर्ष 4/2 सुशीला देवी उम्र 62 वर्ष पुत्रगण राजाराम निवासी राज अमोडा बाजार बेंधेपुर तथा-रामाडोड, परगना-अमोडा, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-213-2026 सीताराम बनाम संतोष कुमार आदि 1. संतोष कुमार आयु 36 वर्ष 2. मुकेश कुमार आयु 34 वर्ष 3. उमेश कुमार आयु 32 वर्ष 4. महेश कुमार आयु 28 वर्ष पुत्रगण भाग्यमता 5. शांति देवी आयु 58 वर्ष पत्नी भाग्यमता निवासी ग्राम नारायणपुर, तथा रामगढ़, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती -प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग 6. ओमप्रकाश आयु 35 वर्ष पुत्र अज्ञात निवासीग्राम नारायणपुर, तथा रामगढ़, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती -प्रतिवादी द्वितीय वर्ग तारीख पेशी 08-07-2026 हरगाह ने आपक नाम नालिहा बाबत के दायर की हैं। नालिहा आपक 08 माह 07 सन 2026 ई0 बवतल 10 बजे दिन असातलन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाक्य किये गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सखा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपक इजहार के लिये मुकदमे हे वास्ते इन्फिकाल करतत मुकदमा के तजवीज हुई हे और आपको लाजिम हे कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करे। आपको इतिलाा दी जाती हे कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपक मससुआ और फैसला होगा। बखस मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-11/2026 सुखम आदि बनाम रामछेड़ आदि 1. रामछेड़ उम्र 40 वर्ष 2. मोहन लाल उम्र 35 वर्ष 3. अवेश कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्रगण रामवली साकिन टोला-रामपुर गनेशपुर, तथा-गंशपुर, परगना-नगर तहसील व जिला-बस्ती 4. सन्तराम उम्र 22 वर्ष पुत्र राम अीतार 5. यन्मा देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद 7. श्रीमती यशोदामती राम सुरेश साकिन टोला-रामपुर, गनेशपुर, तथा-गंशपुर, परगना-नगर पूरब, तहसील व जिला-बस्ती 8. श्रीमती शिविका देवी पुनी दीन दयाल साकिन टोला-बग्डी बाजार, गनेशपुर, तथा-गंशपुर, परगना-नगर पूरब, तहसील व जिला-बस्ती तारीख पेशी 02-07-2026 हरगाह ने आपक नाम नालिहा बाबत के दायर की हैं। नालिहा आपक 02 माह 07 सन 2026 ई0 बवतल 10 बजे दिन असातलन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाक्य किये गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सखा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपक हाजिरी के लिये मुकदमे हे वास्ते इन्फिकाल करतत मुकदमा के तजवीज हुई हे और आपको लाजिम हे कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करे। आपको इतिलाा दी जाती हे कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपक मससुआ और फैसला होगा। बखस मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-748/2025 श्रीमती गीता मिश्रा आदि बनाम 3. श्रीमती सविता देवी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री सिताराम पत्नी अमरनाथ निवासी ग्राम हिलिया हासकुमान ग्राम भैलवल तथा पिपरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. श्रीमती मन्ता उम्र करीब 42 वर्ष पुत्री सिताराम पत्नी अशोक कुमार निवासी ग्राम मेवारी तथा मधोली परगना मधोली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती -प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग तारीख पेशी 21-07-2026 हरगाह ने आपक नाम नालिहा बाबत के दायर की हैं। नालिहा आपक 21 माह 07 सन 2026 ई0 बवतल 10 बजे दिन असातलन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाक्य किये गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सखा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपक इजहार के लिये मुकदमे हे वास्ते इन्फिकाल करतत मुकदमा के तजवीज हुई हे और आपको लाजिम हे कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करे। आपको इतिलाा दी जाती हे कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपक मससुआ और फैसला होगा। बखस मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-50-50/2026 सुदामा बनाम विन्दावासिनी आदि 1. विन्दावासिनी आयु 35 वर्ष पत्नी राम गुता और निवासी ग्राम नन्दनगर तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 2. रामकुमार आयु 50 वर्ष पुत्र लालता प्रयाद निवासी ग्राम चोरी, तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 3/1 जयन्ती उम्र 70 वर्ष पत्नी रामजनन 3/2 आनन्द कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्रगण पुत्रगण पल्लव 3/3 धर्मन्त कुमार उम्र 47 वर्ष 3/4 सन्त कुमार उम्र 45 वर्ष 3/5 अशुका कुमार उम्र 43 वर्ष 3/6 अशुका उम्र 40 वर्ष 3/7 अनिल उम्र 35 वर्ष 3/8 सनवत उम्र 30 वर्ष 3/9 सुनील उम्र 22 वर्ष पुत्रगण राम जनक 3/10 कुसुम उम्र 40 वर्ष पुत्री रामजनक निवासीगण ग्राम खोपेकर, तथा-नवाडी, परगना-नगर पश्चिम तहसील हरैया, जिला-बस्ती 4. राजाराम उम्र 40 वर्ष मृतक पुत्र छोड़ू 4/1 तारा देवी उम्र 65 वर्ष 4/2 सुशीला देवी उम्र 62 वर्ष पुत्रगण राजाराम निवासी राज अमोडा बाजार बेंधेपुर तथा-रामाडोड, परगना-अमोडा, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-20241700000907 अदालत- श्रीमान सिविल जज (सी010) एफटी0पी0टी महोदय बस्ती जिला-बस्ती फारुक बनाम अब्दुल रऊफ आदि 1. अब्दुल रऊफ 2. मुस्ताफ अहमद 3. करम हुसैन 4. अली हुसैन 5. इरितियाज पुत्रगण चिनकान -रेस्पान्डेन्ट प्रथम वर्ग 7. मो अलसम 8. मो यकूब पुत्रगण हरन -रेस्पान्डेन्ट द्वितीय वर्ग साकिनान मौजा भूबर तहसील व जिला बस्ती 3/1 मू सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र रामकेशर सिंह 3/2 श्रीमती दुर्गा देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी रामकेशर सिंह साकिनान मौजा भूबर तथा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती तारीख पेशी 14-07-2026 दरखास्त मुसमा हरगाह दुर्दाइ मजकूरकरदम ने इस अदालत में दरखास्त हुकूम मुहाराह मन्सूखी डिस्मिसिरी नालिहा हस्य हियादत अदालत हाजा बतारीख माह सन 20 ई0 पेश को हे। नालिहा आपको इतिलाा दी जाती हे कि अपील बनराजी जगती इस हुकूमद में मुसमी ने पेश हस अदालत में दर्ज रिफरेंस हुआ और इस अदालत व तारीख 07 महीना 07 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकदमा को हे। अगर खुद या आपकी वकील या और साजो जो कानूनन आओकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करे वाजिद हो हाजिर न आयाग तो उसकी समयात और तजवीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 30 माह 05 सन 2026 ई0 मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत के हवालत किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 9 कायदा 9) (2) अदालत- श्रीमान सिविल जज (सी010) एफटी0पी0टी महोदय बस्ती जिला-बस्ती रामनरेश बनाम राज कुमार आदि 2/1 सुनील सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र साहू सरन सिंह 2/2 श्रीमती वन्दना पत्नी संजय सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष साकिनान मौजा भूबर तथा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 3/1 मू सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र रामकेशर सिंह 3/2 श्रीमती दुर्गा देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी रामकेशर सिंह साकिनान मौजा भूबर तथा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती तारीख पेशी 14-07-2026 दरखास्त मुसमा हरगाह दुर्दाइ मजकूरकरदम ने इस अदालत में दरखास्त हुकूम मुहाराह मन्सूखी डिस्मिसिरी नालिहा हस्य हियादत अदालत हाजा बतारीख माह सन 20 ई0 पेश को हे। नालिहा आपको इतिलाा दी जाती हे कि आप दर्ज अदालत में बतारीख 14 माह 07 सन 2026 या असातलन या बखारिये वकील अदालत हाजा या मुहाराह नजाज हस्य जाता और वाकिल हाज हस्य मुकदमा हे हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करे कि नागुदा की दरखास्त क्यों न मन्जू किया जाय। मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत से आज बतारीख 25 माह 05 सन 2026 ई0 जारी किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-748/2025 श्रीमती गीता मिश्रा आदि बनाम 3. श्रीमती सविता देवी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री सिताराम पत्नी अमरनाथ निवासी ग्राम हिलिया हासकुमान ग्राम भैलवल तथा पिपरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. श्रीमती मन्ता उम्र करीब 42 वर्ष पुत्री सिताराम पत्नी अशोक कुमार निवासी ग्राम मेवारी तथा मधोली परगना मधोली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती -प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग तारीख पेशी 21-07-2026 हरगाह ने आपक नाम नालिहा बाबत के दायर की हैं। नालिहा आपक 21 माह 07 सन 2026 ई0 बवतल 10 बजे दिन असातलन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाक्य किये गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सखा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपक इजहार के लिये मुकदमे हे वास्ते इन्फिकाल करतत मुकदमा के तजवीज हुई हे और आपको लाजिम हे कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करे। आपको इतिलाा दी जाती हे कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपक मससुआ और फैसला होगा। बखस मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-50-50/2026 सुदामा बनाम विन्दावासिनी आदि 1. विन्दावासिनी आयु 35 वर्ष पत्नी राम गुता और निवासी ग्राम नन्दनगर तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 2. रामकुमार आयु 50 वर्ष पुत्र लालता प्रयाद निवासी ग्राम चोरी, तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 3/1 जयन्ती उम्र 70 वर्ष पत्नी रामजनन 3/2 आनन्द कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्रगण पुत्रगण पल्लव 3/3 धर्मन्त कुमार उम्र 47 वर्ष 3/4 सन्त कुमार उम्र 45 वर्ष 3/5 अशुका कुमार उम्र 43 वर्ष 3/6 अशुका उम्र 40 वर्ष 3/7 अनिल उम्र 35 वर्ष 3/8 सनवत उम्र 30 वर्ष 3/9 सुनील उम्र 22 वर्ष पुत्रगण राम जनक 3/10 कुसुम उम्र 40 वर्ष पुत्री रामजनक निवासीगण ग्राम खोपेकर, तथा-नवाडी, परगना-नगर पश्चिम तहसील हरैया, जिला-बस्ती 4. राजाराम उम्र 40 वर्ष मृतक पुत्र छोड़ू 4/1 तारा देवी उम्र 65 वर्ष 4/2 सुशीला देवी उम्र 62 वर्ष पुत्रगण राजाराम निवासी राज अमोडा बाजार बेंधेपुर तथा-रामाडोड, परगना-अमोडा, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-20241700000907 अदालत- श्रीमान सिविल जज (सी010) एफटी0पी0टी महोदय बस्ती जिला-बस्ती फारुक बनाम अब्दुल रऊफ आदि 1. अब्दुल रऊफ 2. मुस्ताफ अहमद 3. करम हुसैन 4. अली हुसैन 5. इरितियाज पुत्रगण चिनकान -रेस्पान्डेन्ट प्रथम वर्ग 7. मो अलसम 8. मो यकूब पुत्रगण हरन -रेस्पान्डेन्ट द्वितीय वर्ग साकिनान मौजा भूबर तहसील व जिला बस्ती 3/1 मू सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र रामकेशर सिंह 3/2 श्रीमती दुर्गा देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी रामकेशर सिंह साकिनान मौजा भूबर तथा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती तारीख पेशी 14-07-2026 दरखास्त मुसमा हरगाह दुर्दाइ मजकूरकरदम ने इस अदालत में दरखास्त हुकूम मुहाराह मन्सूखी डिस्मिसिरी नालिहा हस्य हियादत अदालत हाजा बतारीख माह सन 20 ई0 पेश को हे। नालिहा आपको इतिलाा दी जाती हे कि अपील बनराजी जगती इस हुकूमद में मुसमी ने पेश हस अदालत में दर्ज रिफरेंस हुआ और इस अदालत व तारीख 07 महीना 07 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकदमा को हे। अगर खुद या आपकी वकील या और साजो जो कानूनन आओकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करे वाजिद हो हाजिर न आयाग तो उसकी समयात और तजवीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 30 माह 05 सन 2026 ई0 मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत के हवालत किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 9 कायदा 9) (2) अदालत- श्रीमान सिविल जज (सी010) एफटी0पी0टी महोदय बस्ती जिला-बस्ती रामनरेश बनाम राज कुमार आदि 2/1 सुनील सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र साहू सरन सिंह 2/2 श्रीमती वन्दना पत्नी संजय सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष साकिनान मौजा भूबर तथा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 3/1 मू सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र रामकेशर सिंह 3/2 श्रीमती दुर्गा देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी रामकेशर सिंह साकिनान मौजा भूबर तथा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती तारीख पेशी 14-07-2026 दरखास्त मुसमा हरगाह दुर्दाइ मजकूरकरदम ने इस अदालत में दरखास्त हुकूम मुहाराह मन्सूखी डिस्मिसिरी नालिहा हस्य हियादत अदालत हाजा बतारीख माह सन 20 ई0 पेश को हे। नालिहा आपको इतिलाा दी जाती हे कि आप दर्ज अदालत में बतारीख 14 माह 07 सन 2026 या असातलन या बखारिये वकील अदालत हाजा या मुहाराह नजाज हस्य जाता और वाकिल हाज हस्य मुकदमा हे हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करे कि नागुदा की दरखास्त क्यों न मन्जू किया जाय। मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत से आज बतारीख 25 माह 05 सन 2026 ई0 जारी किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-748/2025 श्रीमती गीता मिश्रा आदि बनाम 3. श्रीमती सविता देवी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री सिताराम पत्नी अमरनाथ निवासी ग्राम हिलिया हासकुमान ग्राम भैलवल तथा पिपरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. श्रीमती मन्ता उम्र करीब 42 वर्ष पुत्री सिताराम पत्नी अशोक कुमार निवासी ग्राम मेवारी तथा मधोली परगना मधोली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती -प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग तारीख पेशी 21-07-2026 हरगाह ने आपक नाम नालिहा बाबत के दायर की हैं। नालिहा आपक 21 माह 07 सन 2026 ई0 बवतल 10 बजे दिन असातलन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाक्य किये गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सखा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपक इजहार के लिये मुकदमे हे वास्ते इन्फिकाल करतत मुकदमा के तजवीज हुई हे और आपको लाजिम हे कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करे। आपको इतिलाा दी जाती हे कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपक मससुआ और फैसला होगा। बखस मेरे दस्तावेज और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। -द0 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्तु करावयाद उम्र तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी010डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती वाद सं-50-50/2026 सुदामा बनाम विन्दावासिनी आदि 1. विन्दावासिनी आयु 35 वर्ष पत्नी राम गुता और निवासी ग्राम नन्दनगर तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 2. रामकुमार आयु 50 वर्ष पुत्र लालता प्रयाद निवासी ग्राम चोरी, तथा सिकन्दरपुर, परगना अमोडा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 3/1 जयन्ती उम्र 70 वर्ष पत्नी रामजनन 3/2 आनन्द कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्रगण पुत्रगण पल्लव 3/3 धर्मन्त कुमार उम्र 47 वर्ष 3/4 सन्त कुमार उम्र 45 वर्ष 3/5 अशुका कुमार उम्र 43 वर्ष 3/6 अशुका उम्र 40 वर्ष 3/7 अनिल उम्र 35 वर्ष 3/8 सनवत उम्र 30 वर्ष 3/9 सुनील उम्र 22 वर्ष पुत्रगण राम जनक 3/10 कुसुम उम्र 40 वर्ष पुत्री रामजनक निवासीगण ग्राम खोपेकर, तथा-नवाडी, परगना-नगर पश्चिम तहसील हरैया, जिला-बस्ती 4. राजाराम उम्र 40 वर्ष मृतक पुत्र छोड़ू 4/1 तारा देवी उम्र 65